

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर

कमॉक:- प.2 (सब)जी-39(IV)/आ.कृ./गुप-9/

दिनांक:

कार्यालय आदेश

श्री नवरतन कुमार जैन जो सहायक कृषि अधिकारी के रूप में सहायक निदेशक कृषि (वि) गुलाबपुरा में कार्यरत थे, को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर दिनांक 31.01.2021 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री नवरतन कुमार जैन के विरुद्ध:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(डॉ० ओमप्रकाश)

आयुक्त कृषि एवं पंचायती राज

कमॉक:- प.2 (सब)जी-39(IV)/आ.कृ./गुप-9/14169-76

दिनांक: 04.03.2021

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- निदेशक पेंशन विभाग, जयपुर।
- 2- संयुक्त निदेशक कृषि (वि०) भीलवाड़ा खण्ड भीलवाड़ा।
- 3- उप निदेशक कृषि (वि) जिला परिषद् भीलवाड़ा।
- 4- सहायक निदेशक कृषि (वि) गुलाबपुरा।
- 5- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मु० जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 6- श्री नवरतन कुमार जैन, सहायक कृषि अधिकारी, कार्यालय सहायक निदेशक कृषि(वि) गुलाबपुरा।
- 7- निजी पंजिका।

(उदयभान सिंह)

उप निदेशक कृषि (प्रशासन)